राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या– 1197, 1198, 1199, 1200 व 1201/2017 .....जिला.....उदयपुर.....

उनवान – मै0 राजदर्शन होटल्स प्रा0लि0,उदयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी,वृत–अ, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.09.2017	**खण्डपीठ** **श्री वी.श्रीनिवास,अध्यक्ष** **श्री नत्थूराम, सदस्य** अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री पंकज घीया एवं विभाग की ओर से श्री आर.के.अजमेरा उप–राजकीय अधिवक्ता बहस के दौरान उपस्थित हुए। वाणिज्यिक कर अधिकारी, उदयपुर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) के पृथक–पृथक आदेश दिनांक 22.07.2016 जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 25,55 एवं 61 के तहत् कायम की गयी मांग राशियों के संबंध में पारित किया गया है, से असंतुष्ट होकर, अपीलार्थी द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के समक्ष अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्र पेश करने पर, अपीलीय अधिकारी ने संयुक्त आदेश दिनांक 23.05.2017 के द्वारा धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति को अपास्त कर, कर व ब्याज को यथावत रखते हुए, अपीलार्थी की अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की है। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर ये पॉचों अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्रों के अधिनियम की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गई, जिनका विवरण निम्नानुसार:–	

अ.सं.	कर नि. वर्ष	अपी.अधिकारी की अपील सं.	कर राशि	शास्ति राशि	ब्याज
1	2	3	4	5	6
1197/17	2011–12	95/VAT/16–17	37,622	75,324	21,844
1198/17	2012–13	96/VAT/16–17	45,686	91,,372	21,016
1199/17	2013–14	97/VAT/16–17	46,864	93,728	15,934
1200/17	2014–15	98/VAT/16–17	40,676	81,352	8,949
1201/17	2015–16	99/VAT/16–17	51,442	1,02,884	5,144

उक्त पॉचों अपीलों में पक्षकार एवं विवादित बिन्दु समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है, निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में पृथक–पृथक रखी जा रही है।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान तर्क दिया कि अपीलार्थी व्यवसायी की होटल रेस्टोरेंट में फुड एवं बेवरेज की बिक्री पर सेवा कर की राशि बिक्री बिलों में वसूल की जाती है। इस सेवा कर की राशि को बिक्री मूल्य में शामिल नहीं करने एवं इस राशि पर कर अदा नहीं करने के कारण सशक्त अधिकारी ने इसे रा.मू.प.कर अधिनियम की धारा 2(36) का उल्लंघन मानते हुए कर, ब्याज व शास्ति आरोपित करने में विधिक भूल की है। अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा कोई भी खरीद बिक्री छिपायी नहीं है। अपीलीय अधिकारी ने भी केवल शास्ति राशि को ही अपास्त किया है। अपने तर्क के समर्थन में अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत माननीय

लगातार 2

न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों का हवाला देते हुए अपीलार्थी द्वारा उपरोक्त तालिका में कर व ब्याज राशि को स्थगित करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी–राजस्व के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने सशक्त अधिकारी के आदेशों को उचित बताते हुए, अपीलार्थी की अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभयपक्षीय बहस सुनी गयी। विचाराधीन प्रकरण में अपीलार्थी का अपील में मुख्य आधार यह है कि व्यवसायी की होटल रेस्टोरेंट में फूड व ब्रेवरीज की बिक्री पर सेवा कर की राशि को विक्रय मूल्य में शामिल कर वेट आरोपित किया जाना विधिसम्मत नहीं है।

अधिनियम की धारा 2(36) के अनुसार statutory levy को विक्रय मूल्य का भाग माना है। इस प्रकार इस बिन्दु पर विधिक स्थिति स्पष्ट है तथा इस बिन्दु पर उठाये गये आक्षेप good cause of appeal की श्रेणी में नहीं आते है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित कर वसूली स्थगित करने से महत्वपूर्ण क्षति का मामला भी राजस्व के पक्ष में बनता है न कि अपीलार्थी व्यवसायी के पक्ष में। इस प्रकार अपील का आधार good cause की श्रेणी में नहीं होने व महत्वपूर्ण क्षति का मामला अपीलार्थी के पक्ष में नहीं होने के कारण स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना विधिसम्मत व न्यायोचित नहीं है।

फलतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्रों में चाही गई कर व ब्याज की राशि को अस्वीकार किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब हों। मिसल वास्ते बहस दिनांक 09.10.2017 को खण्डपीठ के समक्ष पेश हो।

(नत्थूराम)
सदस्य

(वी.श्रीनिवास)
अध्यक्ष